प्रबीर बनर्जी

बनाम

भारत संघ और अन्य

निर्णय दिनांक - 5 अक्टुबर, 2007

[अल्तमस कबीर और डी. के. जैन जे. जे.]

सर्विस लॉ

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 2002; आर 3 (2)

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.01.2003, 19.02.2004 और 09.03.2004

निर्णय अल्तमस कबीर, जे.

तत्काल विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता उन दो याचिकाकर्ताओं में से एक था, जिन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ में 2005 की रिट याचिका संख्या 3622 दायर की थी, जिसमें 13.09.2005 का पारित आदेश की कानूनी औचित्य पर सवाल उठाया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर खंडपीठ, ओ.ए. सं. 6002/2005 में। रिट याचिकाकर्ताओं ने स्थानान्तरण के आदेश को रद्द करने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था, जिसके द्वारा उन्हें इंदौर से नागपुर स्थानान्तरित किया गया था। स्थानान्तरण के आदेश को चुनौती

इस आधार पर दी गई थी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण निषिद्ध था और इसलिए विवादित स्थानांतरण आदेश शून्य था और रद्द किये जाने योग्य था।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामले की सराहना करने के लिए मामले से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

याचिकाकर्ता प्रबीर बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता को 1982 में निरीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 2003 में उन्हें भोपाल क्षेत्र के तहत अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें शामिल थे भोपाल, इंदौर और रायपुर के आयुक्तालय। 19.02.1994 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त को संबोधित एक परिपत्र जारी किया, जिसमें अंतर-आयुक्त स्थानांतरण को बंद करने के संबंध में कुछ निर्देश शामिल थे। चूंकि इस मामले में की गई अधिकांश दलीलें उक्त परिपत्र के इर्द-गिर्द घूमती है, इसलिए इसे यहां दोबारा प्रस्तुत किया गया है।

एफ. नं. ए 22015/03/2004 एडी III ए भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली, 19 फरवरी 2004 सभी मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, सभी मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सभी सीमा शुल्क

आयुक्त, सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सभी महानिदेशक / निदेशक आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (सभी नाम से) विषयः अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण, उन्हें बंद करने आदि के संबंध में निर्देश जारी करना।

महोदय/महोदया, यह याद किया जाएगा कि ग्रुप 'बी, 'सी' और 'डी' के कर्मचारियों का अंतर-आयुक्त स्थानांतरण (यानी एक कैडर नियंत्रण प्राधिकारी से दूसरे में स्थानांतरण) अनुकंपा के आधार पर हो रहा था। ये शक्तियां एफ. सं. में निर्धारित शर्तों के अधीन विभाध्याक्षों को सौंपी गई थी। ए 22015/34/8-0- एडी III बी दिनांक 20.05.1980। चूंकि अंतर-आयुक्त स्थानांतरणों के कारण कुछ प्रशासनिक कठिनाईयां पैदा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप लम्बी मुकदमेबाजी हुई है, इसलिए बोर्ड द्वारा इस मामले की विस्तार से समीक्षा की गई है।

तदनुसार, इस विषय पर पूर्व में जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब से ग्रुप 'बी , 'सी' और 'डी' के किसी भी कर्मचारी के लिए अंतर-आयुक्त स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, असाधारण परिस्थितियों में प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर जहां अत्यधिक अनुकम्पा के आधार पर ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करना आवश्यक माना जाता है, ऐसे स्थानांतरणों को स्थानांतरण और स्थानांतरित कैडर नियंत्रण के अनुमोदन के अधीन

तीन साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुमति दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति अवधि का आगे विस्तार आयुक्त द्वारा एक वर्ष तक और संबंधित मुख्य आयुक्तों द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है। ऐसे स्थानान्तरण विशिष्ट शर्त के साथ होंगे कि विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। जहां भी आवश्यक हो, भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन अनुमोदनाधीन है और बाद में जारी किए जाएंगे।

इसे बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है। कृपया इन निर्देशों की प्राप्ति स्वीकार की जाए।

भवदीय, एसडी/-

(एस के ठाकुर)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत के उक्त परिपत्र से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड ने अंतर-आयुक्त स्थानांतरण से संबंधित मौजूदा नीति की समीक्षा करने के बाद एक निर्णय लिया, जिसके तहत अतीत में इस विषय पर जारी किए गए सभी प्रावधानों/निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए कोई अंतर-आयुक्त स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब से किसी भी ग्रेड 'बी , 'सी' और 'डी' कर्मचारी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां तक उन मामलों के संबंध में जहां

अत्यधिक अनुकंपा आधार पर मांग की गई थी, ऐसे स्थानान्तरणों को स्थानांतरण और ट्रांसफरी कैडर नियंत्रण अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन 3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। जैसा कि यहां पहले बताया गया है। याचिकाकर्ता को 2003 में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो 'बी' श्रेणी का पद है।

उक्त परिपत्र को बाद में 9 मार्च, 2004 को राजस्व विभाग द्वारा जारी एक अन्य परिपत्र द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

एफ. नं. 22015/03/2004 एडी III ए भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नई दिल्ली, 9 मार्च, 2004 सभी मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, सभी मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सभी सीमा शुल्क आयुक्त, सभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सभी महानिदेशक/निदेशक आयुक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर (सभी नाम से) विषयः अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण निर्देश जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय/महोदया, मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 19.02.2004 के समसंख्यक कार्यालय परिपत्र का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि अंतर-संबंधी स्पष्टीकरण के लिए कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

एक ही क्षेत्र में आयुक्तालय स्थानांतरण। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य कैडर वाले आयुक्तालयों के बीच अंतर-आयुक्तालय स्थानातंरण,

जहां वरिष्ठता का कोई नुकसान शामिल नहीं है, को पहले की तरह जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय, एसडी/-

(एस के ठाकुर)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत के उक्त संशोधन के आधार पर यह स्पष्ट किया गया था कि सामान्य कैडर वाले आयुक्तालयों के बीच अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण, जहां वरिष्ठता का कोई नुकसान नहीं हुआ था, को पहले की तरह जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

उपरोक्त परिपत्रों के प्रख्यापन के अनुसरण में एक आदेश, कार्यालय आदेश संख्या 1/2005 दिनांक 31.03.1995 को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी किया गया था, जिसके तहत 55 अन्य अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ता को स्थानातंरित कर दिया गया था। इंदौर कमिश्नरेट से नागपुर कमिश्नरेट तक। यह वह आदेश है जिसे याचिकाकर्ता और अन्य लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी जा सकती थी कि हालांकि अंतर-आयुक्त स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी लकिन अधिकारियों को अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण को भी प्रभावित करने की

अनुमति नहीं दी गई थी, जिसे प्रतिबंधित किया गया था।

संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और विशेष रूप से 10 सितंबर, 1990 के परिपत्र/निर्देशों पर विचार करने के बाद जो भोपाल और नागपुर के अधीक्षकों के सामान्य कैडर का प्रावधान करता है। मुख्य आयुक्त, भोपाल के अधीन आयुक्तालय, कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता द्वारा यहां दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा महेंद्र सिंह के साथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 3622/05 दायर करके चुनौती दी गई थी।

रिट याचिका की सुनवाई के दौरान रिट याचिकाकर्ता की ओर से मुख्य दलील यह दी गई कि एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरण विभाग द्वारा ही प्रतिबंधित है और विभाग ही घोषित नीति का उल्लंघन होने के कारण संबंधित स्थानांतरण आदेश उत्तरदायी है। रद्द किया जाए। दूसरी ओर ट्रिब्यूनल के आदेश का उत्तरदाताओं ने इस आधार पर पुरजोर समर्थन किया कि अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी क्योंकि एक क्षेत्र का गठन राजस्व के उद्देश्य से किया गया था और इसका स्थानान्तरण से कोई लेना-देना नहीं था, जो एक सेवा की घटना है। प्रतिवादियों की ओर से

यह भी आग्रह किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को नागपुर जोन में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो भी उनकी वरिष्ठता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

प्रस्तुत प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत इस आशंका पर आधारित थी कि उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। हालांकि, शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (AIR 1991 SC 532) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्थानांतरण प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित में या सुचारू कामकाज के लिए किए गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस प्रणाली में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी मुद्दे पर कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया और याचिकाकर्ताओं को आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया, साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त अभ्यावेदन को उसकी प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना था।

चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की नीति के आधार पर अंतर-क्षेत्रीय

स्थानांतरण की अनुमति नहीं थी। उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय स्थानान्तरण के संबंध में एक अलग मुद्दे पर विचार किया। केंद्र सरकार की सेवाएं जिनमें स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और याचिकाकर्ताओं को चुनौती के तहत स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ विभाग के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करने की अनुमति देना गलत है।

उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं में से एक, प्रबीर बनर्जी, ने उन्हीं आधार पर यह विशेष अनुमति याचिका दायर की है जैसा कि ट्रिब्यूनल के समक्ष आग्रह किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष दोहराया गया था।

विशेष अनुमति याचिका के समर्थन में उपस्थित होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी के साथ उपस्थित होकर आग्रह किया कि ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ही चुनौती के मुख्य मुद्दे को समझने में विफल रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है और चूंकि नागपुर क्षेत्र भोपाल क्षेत्र से एक अलग क्षेत्र था, इसलिए स्थानांतरण की नीति का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरण आदेश दिया गया था।

यह आग्रह किया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के बजाय, उच्च न्यायालय केंद्रीय सेवा नियमों

के तहत स्थानांतरण को सेवा की एक घटना मानने के व्यापक मुद्दे पर चला गया। श्री रोहतगी ने यह भी आग्रह किया कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अभाव में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों को विभाग के कर्मचारियों के संबंध में लागू करना होगा। यह स्वीकार करते हुए कि स्थानांतरण केंद्रीय सेवाओं में सेवा की एक घटना थी। श्री रोहतगी ने आग्रह किया कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए निश्चित निर्देशों के अस्तित्व को देखते हुए उक्त सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होगा।

यह आग्रह किया गया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है और शिल्पी (सुप्रा) और कुछ अन्य निर्णयों अर्थात्

(i) एसबीआई बनाम अंजन 2001(5) के मामले में केवल इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। एससी 508

(ii) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान (2001 (8)एससीसी 574)

(iii) भारत संघ बनाम जनार्दन देबनाथ (2004 (4)एससीसी 245)

(iv) यूपी राज्य बनाम सिया राम (2004 (7)एससीसी 405), इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि रिट याचिकाकर्ता केवल स्थानांतरण के आदेश के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बी दत्ता हमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के बारे में ले गए, जिनका उल्लेख श्री रोहतगी ने भी किया था। ग्रेड 'बी , 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के अंतर-आयुक्त स्थानान्तरण। अपने इस तर्क के समर्थन में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण स्वीकार्य थे। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि उक्त विभाग के तहत सेवाएं एक अखिल भारतीय सेवा थी, जिसमें स्थानान्तरण सेवा की एक घटना थी, जिसमें याचिकाकर्ता कर सकता था। वैधानिक रूप से आपत्ति नहीं है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दिनांक 16.01.2003 के संचार का भी उल्लेख किया, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया था। बोर्ड का कहना है कि कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में संबंधित आयुक्तों द्वारा प्रयोग की जा रही सभी शक्तियों का प्रयोग अब से संबंधित मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के अलावा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपने संचार दिनांक 24.08.2004 में बोर्ड के निर्देशों का उल्लेख किया है, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि नागपुर और इंदौर कलेक्टरेट से संबंधित समूह बी और सी कैडर के विभाजन की मांग पर निर्णय लंबित है। निर्णय लिया गया था कि उक्त

दोनों कलेक्टरेट का कैडर नियंत्रण नागपुर जोन और इंदौर जोन के दो कलेक्टरों के बीच वितरित किया जाएगा। नागपुर क्षेत्र के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को मंत्रालयिक संवर्ग के समूह बी और सी के कर्मचारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकारी बनाया गया था, जबकि इंदौर के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर को समूह बी और सी के अधिकारियों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी बनाया गया था। कार्यकारी संवर्ग। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विभिन्न आयुक्तालयों में अधिकारियों के पदों में से अधीक्षक का पद कार्यकारी संवर्ग में समूह 'बी का पद था और उपरोक्त दो कलेक्टरों के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर के कलेक्टर, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी बन गए। उक्त आयुक्तालयों में ऐसे कर्मचारी के लिए।

उत्तरदाताओं की ओर से दायर जवाबी हलफनामे और विशेष रूप से पैरा 3 (वी) का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना संख्या 14/2002 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 08.03.2002 के आधार पर संशोधित नियम 3 (2) के तहत जारी किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत मुख्य आयुक्त के वैधानिक क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि वैधानिक क्षेत्राधिकार कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में मुख्य आयुक्त के क्षेत्राधिकार से अलग था, जिसे प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से अलग से परिभाषित

किया गया था। जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मुख्य आयुक्त, भोपाल का वैधानिक क्षेत्राधिकार भोपाल, इंदौर और रायपुर के तीन आयुक्तालयों तक विस्तारित था। मुख्य आयुक्त, भोपाल को ग्रेड 'बी के संयुक्त कैडर के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप नामित किया गया था। चार आयुक्तालयों अर्थात् भोपाल, इंदौर, रायपुर और नागपुर। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में मुख्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को नियम 3 (2) के तहत जारी किसी भी अधिसूचना द्वारा परिभाषित या सीमित नहीं किया गया है। समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसे वैधानिक नियम, जैसा कि तत्काल मामले में किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि केंद्र सरकार की सेवा में स्थानान्तरण सेवा की एक घटना है और कोई कर्मचारी इस आधार पर स्थानान्तरण के विवादित आदेश पर सवाल उठाने का हकदार नहीं था। इसके अलावा, चूंकि स्थानान्तरण आदेश कैडर नियंत्रण प्राधिकरण अर्थात् मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल द्वारा जारी किया गया था, जिन्हें बोर्ड द्वारा तीन आयुक्तालयों के संबंध में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था। भोपाल जोन और नागपुर जोन के अंतर्गत नागपुर आयुक्तालय ऐसा आदेश वैध रूप से बनाया गया था और अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।

संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद हम उत्तरदाताओं द्वारा अपनाये गए रुख से सहमत है कि हालांकि स्थानान्तरण केंद्रीय सेवा नियमों के तहत सेवा की एक घटना है, याचिकाकर्ता के पास स्थानान्तरण आदेश के संबंध में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, जिसके द्वारा उन्हें भोपाल क्षेत्र से नागपुर क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था, जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल क्षेत्र के मुख्य आयुक्त द्वारा बोर्ड द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 16.01.2003 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत पारित किया गया था।

हालांकि, दोनों पक्षों ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 19.02.2004 और 09.03.2004 के परिपत्र पर भरोसा किया है। उक्त दोनों परिपत्रों का मुद्दे के तथ्यों से बहुत कम या कोई प्रासंगिकता नहीं है। तात्कालिक मामला परिपत्र दिनांक 19.02.2004 केवल यह इंगित करता है कि समूह 'बी', 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के अंतर-आयुक्त स्थानांतरण अनुकंपा के आधार पर हो रहे थे, जिससे कुछ प्रशासनिक कठिनाईयां पैदा हुई, जिसके परिणामस्वरूप लंबी मुकदमेबाजी हुई, जिसके कारण बोर्ड को स्थिति विचार से समीक्षा करनी पड़ी। उस संदर्भ में आगे यह संकेत दिया गया था कि इस विषय पर अतीत में जारी किये गए सभी पिछले निर्देशों के अधिक्रमण में अब से किसी भी समूह 'बी', 'सी' और 'डी' कर्मचारी के लिए कोई अंतर-आयुक्त स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके बजाय, प्रत्येक मामले की योग्यता के

मामले पर असाधारण परिस्थितियों में ऐसे स्थानांतरणों को 3 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुमति दी जायेगी, जो स्थानांतरित करने वाले और स्थानांतरित करने वाले कैडर नियंत्रण अधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगी। अन्य परिपत्र दिनांक 09.03.2004 में केवल एक ही क्षेत्र के भीतर अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण के प्रश्न को स्पष्ट किया। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि सामान्य कैडर वाले कमिश्नरों के बीच अतंर-आयुक्त स्थानांतरण, जहां वरिष्ठता का कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसी प्रथा को जारी रखने की अनुमति दी जायेगी।

हमारे विचार में दोनों परिपत्रों में से किसी का भी तत्काल मामले में उठाये गए मुद्दो से कोई संबंध या प्रासंगिकता नहीं है, जहां केन्द्रीय प्रश्न यह है कि क्या भोपाल कमिश्नरेट के मुख्य आयुक्त याचिकाकर्ता को एक अलग क्षेत्र के कमिश्नरेट में स्थानांतरित करने में सक्षम थे अर्थात् नागपुर, यह इंगित करने की सीमा तक की एक सामान्य कैडर वाले आयुक्तालयों के बीच अंतर-आयुक्तालय स्थानांतरण जारी रखने की अनुमति दी जायेगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानांतरण अखिल भारतीय सेवा में सेवा की एक घटना है और केन्द्रीय सेवा नियमों के तहत नियंत्रक प्राधिकारी याचिकाकर्ता को भारत में किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सक्षम था जहां वह ऐसा करना समीचीन समझता था लेकिन

उपरोक्त के अलावा हमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 24.08.1984 के संचार में दिये गए निर्णय को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके द्वारा नागपुर से संबंधित ग्रुप बी समूह बी और सी कैडर के विभाजन की मांग पर निर्णय लंबित था। इंदौर कैडर बार्ड ने निर्णय लिया कि उक्त 2 कलेक्ट्रेट का कैडर नियंत्रण दोनों कलेक्टरों के बीच वितरित किया जायेगा, जैसा कि उक्त संचार में दर्शाया गया है, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, जबकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर के कलेक्टर को समूह बी और सी मंत्रालयिक संवर्गों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी बनाया गया था। कंद्रीय उत्पाद शुल्क इंदौर के कलेक्टर को समूह बी और सी कार्यकारी संवर्गों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी बनाया गया था। लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बोर्ड के तहत दो कलेक्टरों के बीच स्थानांतरण से संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष नियम के अभाव में उक्त प्रशासनिक निर्देश को लागू करना होगा, जहां तक नागपुर और इंदौर कैडर के बीच अंतर-कलेक्ट्रेट स्थानांतरण का संबंध है। वास्तव में बाद के परिपत्र दिनांक 16.01.2003 द्वारा बोर्ड ने आगे घोषणा की कि आयुक्तालय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त समूह बी स्तर के कर्मचारियों तक कैडर नियंत्रण प्राधिकरण होंगे और इसके कार्यों में बोर्ड के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल होगी। आयुक्तालयों/जोनों के बीच जनशक्ति और भौतिक संशाधनों के हस्तान्तरण और समान विवरण के संबंध में बोर्ड के निर्देश।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दृढतापूर्वक आग्रह किया था

कि दिनांक 24.08.2004 कि संचार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर के कलेक्ट्रेट के समूह बी और सी से संबंधित कार्यकारी संवर्गों का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण बनाया गया था, जो भोपाल जोन के मुख्य आयुक्त को भोपाल जोन के तीन कमिश्नरियों के साथ-साथ नागपुर जोन के भीतर आने वाले नागपुर कमिश्नरेट दोनों के संबंध में कैडर नियंत्रण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। न तो यह निवेदन किया गया है और न ही हमें यह दिखाया गया है कि दिनांक 24.08.1984 के उक्त परिपत्र में निहित बोर्ड के निर्णय को रद्द कर दिया गया है या बदल दिया गया है और भोपाल जोन के मुख्य आयुक्त अब नागपुर आयुक्तालय के कैडर नियत्रंण प्राधिकारी नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, हालांकि उच्च न्यायालय मुख्य रूप से इस आधार पर आगे बढ़ा है कि केंद्रीय सेवाओं में स्थानान्तरण सेवा की एक घटना है और वास्तव में इस विषय पर विभिन्न परिपत्रों से निपटा नहीं गया है। हम निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए।

इस मामले का एक अन्य पहलू यह भी है कि सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार याचिकाकर्ता ने केंद्रीय अध्यक्ष को स्थानान्तरण आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया। दिनांक 17.04.05 को उत्पाद एवं सीमा शुल्क।

दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता ने आक्षेपित निर्णय में दिये गये निर्देशों का पालन किया था, जिससे वह उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर सवाल उठाने से वंचित हो गया।

उपरोक्त कारणों से हम विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हैं लेकिन मामले के तथ्यों के अनुसार कोस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री सुरेन्द्र पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।